

कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

Scholarships for wards of martyrs/permanently disabled in emergency operations

कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	Scholarships for wards of martyrs/permanently disabled in emergency operations कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति
3	लाभान्वित वर्ग	विद्यार्थी
4	पात्रता	नूतन:- कारगिल कार्यवाही में शहीद राजस्थान के सैनिकों के आश्रितों के कल्याण एवं उन्हें उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। महाविद्यालय की अनुशंसा किया हुआ आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आयुक्तलय, कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर को निर्धारित तिथि तक पहुंच जाना चाहिए। आवेदक को अन्य कोई छात्रवृत्ति या ऋण मिल रहा हो तो यह छात्रवृत्ति देय नहीं है। नवीनीकरण:- परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं ही इसके पात्र होंगे।
5	देय सुविधाएं	प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा छात्रवृत्ति रू. 300/- (रू तीन सौ मात्र) प्रति माह स्वीकृत कर सम्बन्धित शिक्षण संस्था को भेजी जावेगी।
6	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर विद्यार्थी उस महाविद्यालय में आवेदन करें जहाँ वे अध्ययनरत हों
7	आवेदन कहाँ किया जाए	अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुति करें
8	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन प्रपत्र के अनुसार
9	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य

For details and circulars regarding the scheme visit: <http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in>